संख्या-25/2016/2583/71-आयुष-2-2016-9(बी)/2007टी0सी0।

प्रेषक,

यतीन्द्र मोहन,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
होम्योपैथी,
उ0प्र0लखनऊ।

आयुष अनुभाग-2 लखनऊ: दिनॉक 19 अक्टूबर, 2016

विषय:- वित्तीय वर्ष 2016-17 में जनपद गोरखपुर में राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज के भवन निर्माण हेतु वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-नि0हो0/1041/बजट/प्लान/16-17/2634, दिनॉक 08-03-2016 के संदर्भ में एवं शासनादेश संख्या-1050/71-आयुष-2-2013-9(बी)/2007, दिनॉक 31-05-2013 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज गोरखपुर के भवन निर्माण हेतु व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदित पुनरीक्षित लागत रूपये 8998.41 लाख की प्रशासकीय तथा चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत उपलब्ध बजट प्राविधान रूपये 932.41 लाख में से रूपये 409.95 लाख (रूपये चार करोड नौ लाख पंचान्नबे हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपल महोदय निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष प्रदान करते है:-

1- प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।
2- कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी।
3- पी0एफ0ए0डी0 की शर्तो एवं वित्त विभाग बजट-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 22.03.2016 में उल्लिखित दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
4- स्वीकृत की जा रही धनराशि कोषागार से आवश्यकतानुसार आहरित करके कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी, स्वीकृति धनराशि का व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा जिस कार्य हेतु स्वीकृति की जा रही है।
5- उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपयोग राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानक एवं दिशा निर्देशों के अनुसार किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

6- स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाणपत्र महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद व उ0प्र0 शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

7- स्वीकृत की जा रही धनराशि आहरित कर पी0एल0ए0/बैंक खाते में नही रखी जायेगी।

8- यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलत नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य श्रोत से धनराशि स्वीकृत नही की गयी है।

2- उक्त धनराशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-"4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूॅजीगत परिव्यय-आयोजनागत-03-चिकित्सा शिक्षा प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-03-राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज की स्थापना-24 वृहद निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

भवदीय

(यतीन्द्र मोहन)
विशेष सचिव।

संख्या:-25/2016/2583(1)/71-आयुष-2016 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।
3- जिलाधिकारी, गोरखपुर।
4- प्रधानाचार्य, रा0हो0मे0 कालेज, गोरखपुर।
5- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- निदेशक/महाप्रबन्धक सी0एण्ड डी0एस0, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
7- परियोजना प्रबन्धक, सी0एण्ड डी0एस0, उ0प्र0 जल निगम, इकाई गोरखपुर।
8- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग 1/2/समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ)
9- गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(यतीन्द्र मोहन)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।